विशेष अध्यापक (Special Teacher)

सामान्य शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कला से अवगत नहीं होते है ऐसी स्थिति मे प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक की नियुक्ति हो यदि ऐसा न हो सके तो ब्लाक, जिला स्तर पर विशेष परिभ्रामी शिक्षक special visiting teacher की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिनका दायित्व विद्यालयो के सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षित एवं संगोष्ठी की व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थियों के सम्पर्क मे रहें और साथ ही बच्चों के

Scanned with CamScanner

मनोविज्ञान को समझते हुए किसी दोस दृष्टि के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दे।

*(3) विशेष कक्षा Spacial Class

दिव्यांग एवं अक्षम बालक, सामान्य बालकों के साथ बैठकर सम्पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे बालको के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि कभी-२ विशेस आवश्यकता वाले बालको विशेष कक्षा प्रदान कर उनकी अक्षमता में सुधार कर सामान्य कक्षा में भेज दिया जाता है।

(4) अतिरिक्त कक्षा (Extra Class)

अतिरिक्त कक्षा उन अपंग तथा रोगी बालकों के लिए आयोजित की जानी चाहिए जो नियमित कक्षाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। विशिष्ट विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे विशिष्ट अक्षम बालकों के लिए

Scanned with CamScanner

स्कूल के उपरान्त अथवा छुट्टियों के दिन भी, थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बालकों की व्यक्तिगत सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याओं को समझकर उन्हें हल कर सकेगा।

(5) विशेष विद्यालय :—

कुछ विशिष्ट बालक की अक्षमता इतना अधिक होता है कि वे सामान्य कक्षाओं से कदापि भी लाभान्वित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं है। विशेष विद्यालय मुख्यतः विकलांग तथा गम्भीर रोगी बालकों के लिए ही बनाये जाते हैं। यह स्कूल पूर्णतया अक्षम तथा रोगी बालकों को ध्यान में रखकर ही बनाये जाने चाहिए।

इन स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएँ —

① शारीरिक उपचार कक्ष एवं आवश्यक दवाइयाँ।
② अक्षम बालकों के लिए व्यायामशाला।
③ एक रोगी कार्यशाला जिसे — विशेष जूते, गैलिस
④ विद्यालय इमारत में लिफ्ट, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
⑤ कक्ष-कक्षा की व्यवस्था विशिष्ट एवं अक्षम बालकों के अनुसार होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

जैसे - श्यामपट, मेज, कुर्सी आदि।

(6) विद्यालय में विश्राम कक्ष की व्यवस्था हो।

(7) पानी की समुचित व्यवस्था हो।

(8) आवासीय सुविधा हेतु छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाय।

(9) विशिष्ट एवं अक्षम बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा से प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति हो।

(6) पाठ्यक्रम :— दिव्यांग, विशिष्ट एवं अक्षम बालक को पाठ्यक्रम की रचना उनके अनुसार हो।

(7) अभिवृत्ति परिवर्तन :—

जैसा कि हम सभी अवगत है कि अक्षम या रोगी बालकों को हेय घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टि से विद्यालयों विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सामान्य एवं विशिष्ट या (विकलांग) या रोगी बालक की सोच में सामंजस्य एवं सुधारात्मक परिवर्तन लाया जाए।

(8) प्रशासनिक परिवर्तन :—

औपचारिक विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य बालक के अनुरूप बनायी जाती है। परन्तु इस व्यवस्था में

Scanned with CamScanner

परिस्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन अपरिहार्य हो जाते हैं।
उदाहरण – ① पास मार्क = 33% की अपेक्षा कम प्रतिशत निर्धारित किया जाए।
② लेकिन अक्षम बालक को अधिक समय एवं एक लेखक ~~प्रदान~~ प्रदान किया जाए।
③ अक्षम बालकों को चिकित्सा सम्बन्धी आर्थिक छूट देनी चाहिए।
④ पुनर्वास योजना Rehabilitation programme
इनकी अक्षमता के कारण बालक दया का पात्र बन जाता है जिसके कारण हम समझते हैं कि वह कोई कार्य करने योग्य नहीं है।
* प्रतिवर्ष मार्च का तृतीय रविवार विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय 1959 में 20 सितम्बर को ज्यूरिक सम्मेलन में लिया गया।
* UNESCO ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।
इसी समय भारत में 1982 ई० में इन्हें 3% का आरक्षण प्रदान किया और इस वर्ष को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया।

Scanned with CamScanner

> Date ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☐ Sun

Unit - 2

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

दृष्टि अक्षम बालक

मानव को ईश्वर ने पाँच इन्द्रियों से विभूषित किया है। इसमें से कोई भी इन्द्रिय असमर्थ हो जाती है तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

अतः दृष्टि की छोटी-से छोटी अक्षमता अत्यन्त महत्व रखती है। दृष्टि सम्बन्धी दोष बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। अतः अन्धेपन और अन्य नेत्र सम्बन्धी दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए

दृष्टि अक्षम बालक की परिभाषा

दृष्टि अक्षम बालक वह होते हैं, जो कि अपनी आंखो से ठीक प्रकार से नही देख पाते है। ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालको से कम नही होते है। शोध तथा अनुसंधान कार्यो से यह पता चला है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाय या शिक्षा का अवसर मिल सके, तब इनकी बुद्धि-लब्धि अचानक बढ़ जाती है।

Scanned with CamScanner

शैक्षिक दृष्टि से "दृष्टिबाधिता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणामस्वरूप दृश्य-सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी सम्भव न हो सके।"

चिकित्सीय दृष्टि से "दृष्टिबाधिता की परिभाषा दृष्टि-तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है।

① दृष्टि-तीक्ष्णता के आधार पर— यह बालक सामान्यतः 20 फीट की दूरी पर नहीं देख सकता जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देख लेता है,

② देखने के आधार पर— दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20° से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनकी दृष्टि-तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छा होना चाहिए।

दृष्टि अक्षमता के कारण :— नेत्र रोग के विभिन्न कारणों से उत्पन्न अक्षमता, उपचारोपरांत दृष्टि अक्षमता के सामान्य कारण— लापरवाही, उचित उपचार न करवाना एवं बीमारी सुनिश्चित सावधानियाँ न कर सकना आदि है। धूल, धूप व धुआं भी दृष्टि अक्षमता के सामान्य कारणों में से एक है।

Scanned with CamScanner